न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2013/00057

1. राजकुमारी पुत्री प्रभूलाल पत्नी पुष्पचन्द जाति महाजन निवासी रेलवे हाउसिंग सोसायटी बजरंग नगर पुलिस लाईन कोटा ।
2. प्रेमबाई पुत्री प्रभूलाल पत्नी प्रभूलाल जाति महाजन निवासी ग्राम सोगरिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
3. कैलाश बाई पुत्री प्रभूलाल पत्नी अशोक कुमार जाति महाजन निवीस ग्राम देवलीमांझी तहसील सांगोद जिला कोटा ।
4. मूलचन्द
5. पदमचन्द पिसरान प्रभूलाल जाति महाजन निवासीगण ग्राम राजगढ तहसील सांगोद जिला कोटा ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. जानकी लाल
2. सत्यनारायण पिसरान मांगीलाल जाति लुहार निवासीगण मण्डाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
3. प्रेमबाई पत्नी बाबूलाल
4. हरिश आत्मज बाबूलाल
5. पूजा पुत्री बाबूलाल जाति लुहार निवासीगण राजगढ
6. रामप्रसाद
7. जगदीश
8. परमानन्द पिसरान मांगीलाल जाति लुहार निवासीगण ग्राम राजगढ ।
9. कमला बाई पुत्री मांगीलाल पत्नी रामचन्द्र जाति लुहार निवासी ग्राम गलाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
10. देवकी बाई पुत्री मांगीलाल पत्नी पप्पू जाति लुहार निवासी ग्राम खानपुर तहसील खानपुर जिला झालावाड ।
11. संतोष बाई पुत्री मांगीलाल पत्नी सत्यप्रकाश जाति लुहार ।
12. सोंसर बाई पुत्री नन्दलाल जाति लुहार निवीस राजगढ
    रामदयाल आत्मज नन्दलाल जी (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
13. भगवती प्रसाद
14. घनश्याम पिसरान रामदयाल जाति लुहार निवासीगण ग्राम राजगढ तहसील सांगोद हाल निवासी ग्रामीण पुलिस लाईन रोड, कोटा ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री तेजमल जैन, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री जानकीलाल, रेस्पोडेन्टगण की ओर से (स्वयं)

निर्णय

दिनांकः 26.02.2021

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.09.2013 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण रेस्पोडेन्ट (मृतक) केसरबाई ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम राजगढ तहसील सांगोद में कुल 03 किता की रकबा 06 बीघा 03 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि वादिनी के खाते में दर्ज है । प्रतिवादी द्वारा वादिनी की भूमि पर दिनांक 01.11.1994 को तकत के बल पर नाजायज कब्जा कर लिया है। प्रतिवादी का वादग्रस्त आराजी से कोई सम्बन्ध नहीं है । प्रतिवादी का कब्जा केवल मात्र अतिक्रमी की हैसियत से है जो काबिल बेदखलीय है ।

3. अतः वाद वादिनी स्वीकार किया जाकर वादिनी के पक्ष में प्रतिवादी के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी से प्रतिवादी को बेदखल कर कब्जा वापस वादिनी को दिलया जावे तथा वादिनी को प्रतिवादी से लगान का 15 गुणा तावान के रूप में हर्जाना धारा 5 (34) के तहत दिलया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 13.09.2013 के द्वारा वाद वादिनी स्वीकार कर डिक्री कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.09.2013 से व्यथित होकर प्रतिवादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट की ओर से यह जवाबदेही रही है कि नन्दलाल से वादग्रस्त आराजी प्रभूलाल ने सन् 1954 के बैसाख माह में 99/– रूपये में क्रय की थी और तभी से प्रभूलाल उक्त भूमि पर काबिज चले आ रहे हैं । सन् 1954 के बाद नन्दलाल अथवा उसके वारिसान का उक्त भूमि पर कभी कब्जा नहीं रहा है तथा इस तथ्य की पुष्टि प्रतिवादीगण एवं उनके गवाहान भी करते हैं किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में इस तथ्य का विवेचन किये बिना ही आदेश पारित किया है । यदि प्रतिवादीगण के पक्ष में विक्रय नहीं माना जावे तो भी प्रतिवादीगण का 58 वर्षो से उक्त भूमि पर कब्जा चला आ रहा है इस प्रकार वादिनी का वाद मियाद बाहर होने से निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर 11 तनकीयात कायम की किन्तु अपने निर्णय में अधीनस्थ न्यायालय ने किसी भी तनकी का उल्लेख नहीं किया है और न ही किसी साक्ष्य का विवेचन किया है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने सीपीसी की पालना किये बिना निर्णय पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.09.2013 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने दावा वादीगण स्वीकार कर अपीलान्ट को बेदखल करने में त्रुटि की है । अपीलान्ट की यह जवाबदेही रही है कि नन्दलाल से विवादित आराजी प्रभूलाल ने सन् 1954 में 99/- रूपये में कय की थी । नन्दलाल एवं उनके वारिसान का वादग्रस्त आराजी पर कभी कब्जा नहीं रहा है इस तथ्य का विवेचन किये बिना निर्णय पारित किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय ने 12 तनकीयात कायम की थी परन्तु तनकीवार निर्णय पारित नहीं किया है, साक्ष्य का विवेचन भी नहीं किया गया है । सीपीसी के आदेश 20 नियम 05 की भी पालना नहीं की गई है । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट ने कई न्यायिक दृष्टांत रखे थे उनका भी अवलोकन नहीं किया गया है । प्रभूलाल की मृत्यु के पश्चात् कायममुकामान बनाये बिना निर्णय पारित किया गया है । मृतक व्यक्ति के खिलाफ निर्णय पारित किया गया है जो नलिटी (Nullity) है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 13.09.2013 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरआरटी 2011 (1) पेज 93 उद्वरत की ।

8. रेस्पोडेन्ट की ओर से रेस्पोडेन्ट कम 01 जानकी लाल ने स्वयं उपस्थित होकर बहस की और अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी के खातेदार कृषक रेस्पोडेन्ट हैं । वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादीगण ने ताकत के बल पर सन् 1994 में कब्जा कर लिया था । प्रार्थी वादिनी एक विधवा महिला थी । दाव अवधि मध्य पेश किया गया था और दावे को सिद्ध करने के लिए दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य पेश की गई थी । गवाहों के बयान कराये गये थे अपीलान्ट प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार की प्रार्थना करते हैं परन्तु माननीय राजस्व मण्डल की फुल बैंच के निर्णय आरबीजे 2011 (18) पेज 388 के अनुसार प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदार अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते । माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय आरबीजे 2016 पेज 340 के अनुसार भी प्रतिकूल कब्जे से खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना हो चुकी है । वादग्रस्त आराजी पर कब्जा रेस्पोडेन्टगण को संभलाया जा चुका है । अपीलान्ट वादग्रस्त आराजी को 99/- रूपये में कय करना बताते हैं परन्तु उनके इस कथन की पुष्टि साक्ष्य से नहीं हुई है । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1) के अनुसार वादिनी यदि किसी को काश्त पर आराजी देती है तो इस धारा के अनुसार उनकी खुदकाश्त की मानी जावेगी । आरआरडी 1988 पेज 470 में यही होल्ड किया गया है । आरआरडी 1992 पेज 73 में भी यही सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि राजस्व न्यायालय में स्पेशिफिक परफोरमेन्स का अथवा विकय अनुबन्ध के आधार पर दावा नहीं चलाया जा सकता । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 13.09.2013 बहाल रखा जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरआरटी 2006-07 (सप्लीमेंट्री) पेज 117, आरआरडी 1992 पेज 628, आरआरटी 2006-07 (सप्ली0) पेज 544 उद्वरत की ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर 12 तनकीयात कायम की हैं जो पत्रावली में संलग्न हैं । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न दस्तावेज में पृष्ठ संख्या अंकित नहीं की गई है । यह तनकीयात दिनांक 02.03.2001 को पत्रावली में शामिल की गई हैं परन्तु निर्णय तनकीवार पारित नहीं किया गया है व न ही पेश की गई साक्ष्य की विवेचना की है जो सीपीसी के आदेश 20 नियम 05 के अनुसार अनिवार्य है । विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट के द्वारा उद्वरत नजीरें आरआरटी 2011 (1) पेज 93,

आरआरडी 1998 पेज 44 यहाँ चस्पा होती हैं । इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सीपीसी की पालना में नहीं होने से त्रुटिपूर्ण होने से खारिज होने योग्य है ।

10. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.09.2013 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि दावे एवं जवाबदावे के आधार पर कायम की गई तनकीयात में प्रत्येक तनकी की पेश की गई साक्ष्य के अनुसार विवेचना करते हुए नये सिरे से पत्रावली प्राप्ति के 06 माह के अन्दर विधि सम्मत रूप से तनकीवार निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 31.03.2021 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

11. निर्णय आज दिनांक 26.02.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

26/2/2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

10–देवकीबाई [illegible] जिला कोटा